भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–128/2023–24

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
10.02.2024	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक–198, दिनांक–08.02.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने अपने जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि बिक्रेता श्याम बोदरा, पिता–स्व0 मछुवा बोदरा, जाति–हो (अ॰ज॰जा॰), ग्राम–कोलचकड़ा, थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम ने मौजा–कोलचकड़ा, थाना नं0–67, थाना–चक्रधरपुर, खाता नं०–62, प्लॉट नं०–629, रकवा–0.05.000 ए0 भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत क्रेता मंगल सिंह केराई, पिता–स्व0 रामराई केराई, जाति–हो (अ॰ज॰जा॰), ग्राम–बाईहातु, थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम को बिक्री करना चाहते हैं। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बिक्री की जानेवाली भूमि आवेदक श्याम बोदरा, पिता–स्व0 मछुवा बोदरा, जाति–हो (अ॰ज॰जा॰), ग्राम–कोलचकड़ा, थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम के दखल–कब्जे में है तथा अपने हक की भूमि को क्रेता मंगल सिंह केराई, पिता–स्व0 रामराई केराई, जाति–हो (अ॰ज॰जा॰), ग्राम–बाईहातु, थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम के पास बेचना चाहते हैं। नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। नोटिस तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के प्रतिवेदनानुसार बिक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम के निवासी हैं। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है की वह भूमि उनके हिस्से में है एवं दखल में है। आवेदित भूमि विवाद रहित है, साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती भू–हदबन्दी, भूदान, वनसीमा एवं भू–अर्जन इत्यादि से मुक्त है। बिक्रेता एवं क्रेता, जाति–हो (अ॰ज॰जा॰) समुदाय के सदस्य हैं। बिक्रेता श्याम बोदरा, पिता–स्व0 मछुवा बोदरा, जाति–हो (अ॰ज॰जा॰), ग्राम–कोलचकड़ा, थाना–चक्रधरपुर, जिला–प0 सिंहभूम उक्त वर्णित भूमि मकान निर्माण हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता के पास कुल रकवाः–2.07.000 ए0 अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर साथ ही आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप बिक्रेता को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त भूमि क्रेता को 6,00,000/–(छः लाख) रूपये में अथवा राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शूल्क अदा कर बेचने की स्वीकृति दी जाती है। आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	

Digitally signed by KUSHALMY KINETH MUNDU
Date: 2024.02.13 11:39:01 +05:30
Location: 10.93.69.133